न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 10/2023 तारीख रजू:— 18.07.2023

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

रामरूप पुत्र श्री मूला जाति जाट निवासी पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश चन्द गुप्ता एवं श्री कैलाश चन्द महावर एडवोकेट प्रार्थी

संशोधित निर्णय दिनांक :— 10.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 10.11.2025 को निर्णय पारित किया जा चुका है किन्तु उक्त निर्णय में खाता संख्या 108 व 410 का निर्णय होने से शेष रह गया है। इसलिए न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2026 की अनुपालना में उक्त प्रकरण में पुनः संशोधित निर्णय पारित किया जा रहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है सायल व उसके भाई राधेश्याम, घनश्याम, दरयाब की साबिक आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 5 बिस्वा, 115 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 316 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 455 रकबा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, 796 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा, 468/2 रकबा 12 विस्वा, 475/1 रकबा 10 विस्वा, 827/2 रकबा 9 विस्वा, 824/1 रकबा 8 विस्वा, 797 रकबा 17 विस्वा, कुल किता आराजी 11 कुल रकबा 17 बीघा 17 विस्वा थी। सायल व उसके भाईयों के बीच तकास्मा हो गया और हिण्डौन तहसील में सेटिलमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब नये खाता संख्या 447 में दर्ज खसरा नम्बर 1154, 146/1, 147, 148, 149/2, 150/2 कुल रकबा 1.46 हैक्टेयर खाता नं0 108 में दर्ज खसरा नम्बर 1117 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर में सायल का 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 392 में दर्ज खसरा संख्या 181, 182, 183, 184 कुल रकबा 0.57 हेक्टेयर में सायल का 164 वॉ भाग, खाता संख्या 394 में दर्ज खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.04 हैक्टेयर में सायल का 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 395 में दर्ज खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.30 हेक्टेयर में सायल का 1/12 हिस्सा, खाता सं0 410 में दर्ज खसरा नम्बर 279 रकबा 0.06 हैक्टेयर में सायल का 1/60 हिस्सा, खाता सं0 446 में दर्ज खसरा

नम्बर 1146/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर में सायल का पूर्ण हिस्सा तथा खाता सं0 563 में दर्ज खसरा नम्बर 1149, 1157, 1158, 1175 कुल किता 4 रकबा 0.57 हैक्टेयर में सायल का 1/128 भाग है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि सायल का नाम शुरू से घर में व जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पंचायत की वोटर लिस्ट के क्रमांक 358 पर एवम् ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में व अन्य दस्तावेज में रामरूप नाम शुरू जन्म से चला आ रहा है, तथा परिवान जन भी सायल को रामरूप कहकर ही बुलाते है। इस बाबत ग्राम पंचायत पटोंदा ने सायल के नाम एक अपने स्वयं के लैटर हैड पर दिनांक 20.06.2023 को पत्र जारी किया है किय सायल का नाम रामस्वरूप ना होकर रामरूप पुत्र मूला दर्ज है। रेवेन्यू कर्मचारियों की भूल के कारण सायल के पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद सायल का नामान्तकरण खोलते समय रामरूप के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मूला गलती से दर्ज कर दिया है जो एक मानवीय भूल है। जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 तक देखने से यह साफ पता चलता है कि रामरूप नाम के उपर "स" दर्ज कर दिया है, आगे की जमाबंदियों में रामरूप की जगह रामस्वरूप दर्ज कर दिया है जो रेवेन्यू कर्मचारियों की भूल, लापरवाही स्पष्ट नजर आती है, इस कारण प्रार्थी अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में रामस्वरूप की जगह रामरूप करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि सायल को रेवेन्यू कर्मचारियों की भूल का कभी अहसास नहीं हुआ और कभी पता नहीं चल पाया क्योंकि सायल अनपढ़ आदमी है, स्कूल में पढ़ा नहीं है, सायल को उक्त रेवेन्यू कर्मचारियों की भूल का पता पटवारी हल्का के पास दि0 30.06.2023 को सर्वप्रथम चला तब प्रार्थी ने सभी रिकॉर्ड जमाबंदी आदि की नकल ली और दूसरे व्यक्तियों से पढवाया तब पता चला कि मेरा नाम रामरूप की जगह रेवेन्यू कर्मचारियों ने रामस्वरूप गलत दर्ज कर दिया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं.4 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अंदर अवधि पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल के रेवेन्यू रिकॉर्ड खाता संख्या 447, 108, 392, 394, 395, 410, 446, 563 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में रामस्वरूप पुत्र मूला की जगह रामरूप पुत्र मूला संशोधित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए और ना ही जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

इसलिए दिनांक 27.10.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में असल प्रमाण पत्र श्रीमती उषा मीना, सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा पंचायत समिति श्रीमहावीरजी जिला करौली द्वारा दिनांक 20.06.2023 को जारी प्रमाण पत्र, फोटो प्रति ऑनलाईन राशन कार्ड नम्बर 007657400460 रामरूप पुत्र मूलासिंह निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति मतदाता सूची विधान सभा निवार्चन क्षेत्र हिण्डौन भाग सं0 248 क्रमांक संख्या रामरूप पुत्र मूला ग्राम पटौंदा, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 595448200400 रामरूप पुत्र मूला निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 किता–9, फोटो प्रति जॉव कार्ड रामरूप पुत्र मूला निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति जन आधार कार्ड संख्या 5071730873 अमरवती पत्नि रामरूप निवासी पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली, फोटो प्रति बैंक पासबुक सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहाकारी बैंक लि. शाखा हिण्डौन के खाता सं0 23161 रामरूप पुत्र मूला निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत असल प्रमाण पत्र श्रीमती उषा मीना, सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा पंचायत समिति श्रीमहावीरजी जिला करौली द्वारा दिनांक 20.06.2023 को जारी प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामरूप पुत्र स्व0 श्री मूला जाति जाट निवासी पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान को मैं भली भॉति जानती हूॅं। इनका मूल नाम रामरूप है। जो कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, जॉब कार्ड सभी दस्तावेजों में रामरूप नाम दर्ज है। विभागीय भूल से नामान्तकरण खोलते समय जमाबन्दी में रामस्वरूप पुत्र मूला नाम गलत दर्ज हो गया है, जिसे रामस्वरूप पुत्र मूला के बजाय रामरूप पुत्र मूला नाम दर्ज करने की अनुसंसा की जाती है।

फोटो प्रति ऑनलाईन राशन कार्ड नम्बर 007657400460 रामरूप पुत्र मूलासिंह निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता सूची विधान सभा निवार्चन क्षेत्र हिण्डौन भाग सं0 248 क्रमांक संख्या रामरूप पुत्र मूला ग्राम पटौंदा के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 595448200400 रामरूप पुत्र मूला निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/8 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/4 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.05 है0, 182 रकबा 0.20 है0, 183 रकबा 0.27 है0, 184 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 3/164 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/8 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/12 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1146/2 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.50 है0, 146/1 रकबा 0.22 है0, 147 रकबा 0.21 है0, 148 रकबा 0.29 है0, 149/2 रकबा 0.11 है0, 150/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.49 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा 1/60 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.42 है0, 1157 रकबा 0.01 है0, 1158 रकबा 0.09 है0, 1175 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा 1/128 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति जॉव कार्ड रामरूप पुत्र मूला निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जन आधार कार्ड संख्या 5071730873 अमरवती पत्नि रामरूप निवासी पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति बैंक पासबुक सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहाकारी बैंक लि. शाखा हिण्डौन के खाता सं0 23161 रामरूप पुत्र मूला निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम रामरूप पुत्र मूला है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र मूला दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/8 के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हि01/8, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील

श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/4 के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हि0 1/4, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.05 है0, 182 रकबा 0.20 है0, 183 रकबा 0.27 है0, 184 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 3/164 के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हि0 3/164, खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/8 के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हि0 1/8, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हि0 1/12 के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हि0 1/12, खसरा नम्बर 1146/2 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा पूर्ण के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हिस्सा पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.50 है0, 146/1 रकबा 0.22 है0, 147 रकबा 0.21 है0, 148 रकबा 0.29 है0, 149/2 रकबा 0.11 है0, 150/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा पूर्ण के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हिस्सा पूर्ण, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा 1/60 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हिस्सा 1/60 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार, खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.42 है0, 1157 रकबा 0.01 है0, 1158 रकबा 0.09 है0, 1175 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार रामस्वरूप पुत्र मूला हिस्सा 1/128 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर रामरूप पुत्र मूला हिस्सा 1/128 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली